

उ० प्र० एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राइजेज ईको सिस्टम स्ट्रेन्थेनिंग प्रोजेक्ट
(यूपी-एग्रीज़)-यू०पी०डास्प, लखनऊ

महिला उत्पादक समूहों के गठन एवं संचालन हेतु नियमावली



यू०पी०एग्रीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, यू०पी०डास्प, उ०प्र०

चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पी०ई०एक्स: 2720718, 2721258, ईमेल: updasp12@gmail.com

टोल फ्री नम्बर: 1800-1800-118, वेबसाइट: www.updasp.org

उ0 प्र0 एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राइजेज ईको सिस्टम स्ट्रेन्थेनिंग प्रोजेक्ट (यूपीएग्रीज)—यू0पी0डास्प, लखनऊ

1. प्रस्तावना

यू०पी० एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थेनिंग (यूपीए ग्रीज) परियोजना के माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की कमियों को चिन्हित कर प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि के साथ ही विशिष्ट कृषि उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट/ मूल्य संवर्धन गतिविधियों एवं मार्केट सपोर्ट सिस्टम का विकसित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना द्वारा कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों हेतु भण्डारण/खाद्य प्रसंस्करण और इससे सम्बंधित सहवर्ती अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन सृजित किये जायेंगे, जिससे कृषकों की आय में अपेक्षित वृद्धि होगी।

2. उद्देश्य –

यूपी एग्रीज परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट (यूपी डास्प) संस्था द्वारा कृषकों (सीमान्त एवं लघु कृषकों को प्राथमिकता देते हुए), मत्स्य पालकों एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों को केन्द्रित करते हुए उनके समावेशी विकास हेतु संचालित की जाएगी। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों के आलोक में नवीनतम कृषि तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर कृषकों के समूह क्लस्टर के माध्यम से कृषि लागत में कमी एवं उत्पादकता में सतत वृद्धि कर कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के समग्र विकास एवं प्रभावी मूल्य संवर्धन व उद्यमों को विकसित करने हेतु परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

- 1— जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत अनुकूल कृषि पद्धतियों से प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि करना एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
- 2— उच्च मूल्य/विशिष्ट कृषि उत्पादों के क्राफ क्लस्टर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Centre of Excellence) के रूप में विकसित करना
- 3— कृषक समूहों/कृषक उत्पादक संगठनों, मत्स्य पालकों एवं महिला कृषि उद्यम समूहों के माध्यम से कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, प्रसंस्करण एवं भण्डारण तथा अन्य मूल्य संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- 4— स्थानीय स्तर पर कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना/सुदृढीकरण एवं रोजगार के अवसर सृजित करना।
- 5— कृषि उत्पादों के लाभदायक मूल्य पर विक्रय व्यवस्था हेतु सुदृढ मार्केट सपोर्ट सिस्टम का विकास करना। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक संरचनाओं का विकास व संचालन।
- 6— प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से सम्बन्धित हितधारकों के लिए सूचनाओं के सुगम आदान-प्रदान हेतु डिजिटल एग्रीकल्चर इको सिस्टम एवं सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म की स्थापना।
- 7— जेवर एयरपोर्ट के पास एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना।

- 8— फसलों की उत्पादकता में 30–50% की बढ़ोत्तरी।
- 9— 2 से 3 उपज का बड़े पैमाने पर निर्यात, कृषि एसईजेड की स्थापना।
- 10— विश्व स्तरीय कार्बन क्रेडिट मार्केट की स्थापना।
- 11— स्थानीय मौसम स्टेशनों के आधार पर किसानों को वास्तविक समय (रियल टाइम) मौसम सूचना और बाजार मूल्य सुझाव (एडवाइजरी)।
- 12— 500 किसानों को सर्वोत्तम कृषि तकनीकी को देखने के लिए विदेशों में भ्रमण के लिए भेजा जायेगा।
- 13— 2 से 3 विश्व स्तरीय हैचरी की स्थापना।
- 14— मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता/प्रोसेसिंग व मार्केटिंग बढ़ाना तथा टैंक/बायोप्लाक में मत्स्य पालन कराया जाना।
- 15— कृषि एवं प्रसंस्करण में महिला समूहों को सशक्त बनाना।
- 16— कृषि क्षेत्र में ऋण बढ़ाना, विशेषकर दीर्घकालिक।

3. परियोजना का कार्यक्षेत्र –

यद्यपि इस परियोजना में विकसित तकनीक और संस्थागत सुधारों का सकारात्मक प्रभाव और लाभ समूचे प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था पर होगा तथापि विशिष्ट रूप से भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में परियोजना का क्रियान्वयन लक्षित किया गया है जिसमें प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झांसी व चित्रकूटधाम मण्डल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विन्ध्याचल, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती एवं देवीपाटन मण्डल के समस्त 28 जनपद सम्मिलित हैं।

4. परियोजना के लाभार्थी –प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि करते हुए

राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास किया जाना लक्षित है। प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले वर्ग निम्नवत् हैं—

- i. परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक।
- ii. कृषक उत्पादक समूह/कृषि उत्पादक संगठन एवं अन्य।
- iii. पट्टाधारक मत्स्य पालक/मत्स्यजीवी सहकारी समितियां/निजी तालाब के मत्स्य पालक व अन्य।
- iv. उद्यमी/कृषि/मत्स्य उद्यमी/महिला उद्यमी समूह इत्यादि।
- v. कुशल एवं अकुशल कृषि श्रमिक।
- vi. कृषि क्षेत्र से जुड़े इन्टरप्रेन्योर एवं निर्यातक।

परियोजना अन्तर्गत महिला उत्पादक समूहों के गठन एवं संचालन हेतु नियमावली

1. यूपी-एग्रीज़ परियोजना अन्तर्गत चयनित कुल 28 जनपदों के विकासखण्डों में 9225-10000 कृषि एवं मत्स्य गतिविधियों आधारित महिला उत्पादक समूहों का गठन किया जायेगा।
2. एक समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 व अधिकतम संख्या 20 होगी व उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होगी।
3. समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन सर्व-सम्मति से समूह गठन के समय ही समूह के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
4. समूह का नाम सभी सदस्यों की सर्व-सम्मति से रखा जायेगा। यदि एक पद के लिए दो से अधिक सदस्य दावेदार होते हैं, तो वैसी स्थिति में दो तिहाई बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
5. समूह में बचत एवं उससे आपसी लेन-देन की गतिविधि भी की जायेगी।
6. समूह के द्वारा बचत राशि का निर्धारण सभी सदस्यों की सहमति से प्रति माह प्रति सदस्य के दर से रु0...../प्रति माह किया जायेगा।
7. समूह में बचत से आपसी लेन-देन की ब्याज दर 2 प्रतिशत मासिक रहेगी। विशेष उद्देश्यों के लिए समूह ब्याज राशि में परिवर्तन कर सकता है।
8. समूह का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में समूह गठन के उपरांत खोला जायेगा एवं खाते का संचालन अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
9. समूह में पदाधिकारियों का परिवर्तन प्रत्येक 2 वर्ष बाद सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर किया जायेगा ताकि सभी सदस्यों को नेतृत्व का अवसर मिल सके तथा सभी में नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके।
10. समूह की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार समूह द्वारा निर्धारित तिथि, स्थान व समय पर की जायेगी जिसमें सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बैठक की आवृत्ति सभी सदस्यों की सहमति से बढ़ायी जा सकती है।
11. समूह में प्रत्येक माह बैठक करना अनिवार्य होगा जिसकी कार्यवाही, उपस्थिति तथा लेन-देन का विवरण रजिस्टर पर भरना अनिवार्य होगा। बैठक में बिना पूर्व सूचना के समूह सदस्यों को अनुपस्थित होने पर समूह द्वारा मान्य दण्ड देना होगा।
12. लगातार चार बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर महिला की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में इसमें समूह की सहमति से छूट दी जा सकती है।
13. बचत राशि समूह की बैठक में ही जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय पर बचत न जमा करने पर सदस्य को समूह द्वारा निर्धारित दण्ड की धनराशि देना होगा। विशेष परिस्थितियों में सदस्यों को बचत जमा करने हेतु अतिरिक्त समय सर्वसम्मति से प्रदान किया जा सकता है।
14. समूह की मासिक बैठक माह के प्रथम सप्ताह में की जायेगी तथा समूह की बैठक में एकत्रित बचत पूँजी प्रत्येक दशा में माह की 10 तारीख के पहले बैंक के खाते में जमा

करना समूह संचालकों की जिम्मेदारी होगी जिससे बचत राशि पर प्रत्येक माह का ब्याज मिल सके।

15. समूह में आकस्मिक कोष के रूप में सदस्यों की सहमति से एक निश्चित धनराशि कैंश में रखी जायेगी जोकि अध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष के पास रखी जायेगी।
16. समूह में ऋण का प्रस्ताव करते समय दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है।
17. यदि कोई सदस्य लगातार 4 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उससे कारण जानते हुए समूह से सदस्यता समाप्त करने अथवा उन पर दण्ड लगाने या छूट दिये जाने का निर्णय समूह द्वारा लिया जा सकता है।
18. समूह की कुल बचत का 50 प्रतिशत ही आन्तरिक ऋण के रूप में वितरित किया जायेगा। उत्पादक कार्यों में उद्यम स्थापना/कृषि कार्य में 70 प्रतिशत, शिक्षा कार्यों में 20 प्रतिशत एवं अन्य कार्यों में 10 प्रतिशत ऋण की प्राथमिकता दी जायेगी।
19. प्रत्येक समूह द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोग से परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का समूहवार एक माइक्रो-एक्शन प्लान तैयार किया जायेगा जिसमें परियोजना अवधि में समूह द्वारा की जाने वाली कृषि आधारित आयसृजन एवं आयवृद्धि गतिविधियों एवं समयावधि का विवरण होगा।
20. इस माइक्रो-एक्शन प्लान पर की गयी कार्यवाही एवं प्रगति की समीक्षा समूह द्वारा अपनी प्रत्येक मासिक बैठक में की जायेगी। जिसका विवरण कार्यवाही पुस्तिका में लिखा जायेगा।
21. समूह द्वारा कृषि/मत्स्य आधारित गतिविधियों (प्रसंस्करण, फसल अवशेष प्रबंधन, फसल उपरांत प्रबंधन से संबंधित उद्यम गतिविधियां समूह के निर्णय एवं आवश्यकता अनुसार की जायेंगी जिसका विस्तृत विवरण माइक्रो-एक्शन प्लान में दिया जायेगा।
22. प्रत्येक समूह को अपने क्षेत्र में कमोडिटीवार गठित/संचालित/रजिस्टर्ड महिला अथवा पुरुष एफ0पी0ओ0 की सदस्यता अपनी स्वेच्छानुसार ली जा सकती है जिससे उन्हें वृहद स्तर पर अपने उद्यम हेतु इनपुट, कौशल क्षमता विकास, ब्रांडिंग/प्रमोशन/मार्केटिंग तथा वित्तीय सहायता/ऋण आदि हेतु प्रत्येक संभव सहायता प्राप्त हो सके।
23. महिला कृषक उत्पादक समूह द्वारा की जा रही कृषि आधारित गतिविधियों/उद्यम हेतु परियोजनान्तर्गत स्वीकृत इनपुट जैसे खाद, बीज, कृषि यंत्र, फसल भंडारण, कौशल विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन इत्यादि की सुविधा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन जमा करने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत लिया जा सकेगा।
24. परियोजनान्तर्गत गठित/ग्रहीत स्वयं सहायता समूहों द्वारा यदि वे चाहें तो कमोडिटी/गतिविधि के आधार पर विशेष (एक्सलूसिव) महिला एफ0पी0ओ0 भी बनाये जा सकते हैं। इस कार्य हेतु परियोजनान्तर्गत चयनित एफ0पी0ओ0 (TSA) एजेन्सी द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान किया जायेगा।
25. समूह द्वारा चयनित एफ0पी0ओ0 की सदस्यता लेने हेतु एफ0पी0ओ0 द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क नियमानुसार जमा करना होगा।
26. समूह द्वारा बनाये/उत्पादित किये जा रहे उत्पादों की ब्रांडिंग/प्रमोशन/मार्केटिंग का कार्य परियोजना अन्तर्गत समूह से संबद्ध एफ0पी0ओ0 या विशेषज्ञ एजेन्सी के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

27. समूह में नये सदस्य को भी सर्व सहमति से जोड़ा जा सकेगा। उसको समूह गठन की तिथि से लेकर जुड़ने की तिथि तक बचत जमा नहीं करनी होगी बल्कि जिस दिन से सदस्ता ग्रहण की जायेगी उस तिथि से बचत जमा की जायेगी। नये सदस्य को ऋण 6 माह के बाद ही दिया जायेगा।
28. समूह सदस्यों को ऋण लेते समय 1 सदस्य को गारन्टर के रूप में लगाना होगा। ऋण की पूर्ण अदायगी तक गारन्टर को ऋण नहीं दिया जायेगा।
29. यदि कोई सदस्य ऋण की वापसी समय से नहीं करता है और समूह को लगता है कि सदस्य ऋण वापस करने में बहाने बना रहा है तो समूह द्वारा उस सदस्य से उतने मूल्य की कोई वस्तु सर्व-सम्मति से ली जा सकती है।
30. समूह का आडिट प्रत्येक छमाही पर एस0ओ0/परियोजना स्टाफ द्वारा किया जायेगा। जिसे कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।
31. उत्पादक/उद्यम कार्य के लिए समूह से ऋण लेते समय सदस्य द्वारा अपने अंशदान की राशि भी बताई जाएगी। यदि उसके द्वारा कोई धनराशि नहीं लगाई जा रही है तो ऋण नहीं दिया जायेगा।
32. सदस्यों को ऋण देते समय ही अदायगी की शर्तें तय कर दी जायेंगी।
33. अदायगी की किश्त न जमा होने पर प्रत्येक माह ब्याज अवश्य देना होगा। निर्धारित समय पर ब्याज की अदायगी न करने पर मासिक ब्याज सर्वसम्मति से बढ़ाया भी जा सकता है।
34. समूह के सदस्यों की ऋण आवश्यकताएं पूर्ण होने के पश्चात् समूह के संचालकों को ऋण दिया जायेगा। यह निर्णय समूह के द्वारा सर्वसम्मति से परिवर्तित भी किया जा सकता है।
35. यदि किसी सदस्य का कोई ऋण बकाया है तो उस सदस्य को पुनः ऋण नहीं दिया जायेगा।
36. समूह के सदस्यों को ऋण देते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि एक ही सदस्य को बार-बार ऋण लेने का अवसर न देकर सभी सदस्यों को समान अवसर मिल सके।
37. समूह द्वारा यूपी-एग्रीज़ परियोजना के साथ-साथ प्रदेश अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का भी लाभ नियमानुसार प्राप्त किया जा सकेगा।
38. परियोजनान्तर्गत गठित महिला उत्पादक समूह का लाभांश निम्नलिखित स्रोतों से आयेगा:-
 - बैंक में जमा समूह बचत पर अर्जित ब्याज।
 - समूह सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से की जा रही उद्यम गतिविधियों से अर्जित लाभ।
39. सभी गठित/ग्रहीत महिला उत्पादक समूहों की प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें सभी सदस्यों को समूह द्वारा निर्धारित लाभांश का वितरण किया जायेगा। अर्जित लाभांश का कुछ प्रतिशत (समूह द्वारा तय प्रतिशत) पुनः बिजिनेस में लगाने हेतु तथा कुछ प्रतिशत (समूह द्वारा तय प्रतिशत) सदस्यों को लाभांश रूप में वितरित किया जायेगा।
40. समूह की नियमावली में समूह के सदस्यों के द्वारा दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जा सकता है।
41. समूह का विघटन समूह की कुल देनदारी एवं लेनदारी के समायोजन के पश्चात दो तिहाई मतों द्वारा आम सहमति से ही किया जा सकेगा।

महिला उत्पादक समूह के पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व

अध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व—

1. बैठक बुलाना एवं बैठक की अध्यक्षता करना।
2. सभी सदस्यों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना।
3. बैठक में सदस्यों द्वारा लाये गये प्रस्ताव को रखना एवं चर्चा करना।
4. निर्णय न हो पाने की स्थिति में निर्णायक मत देकर प्रस्ताव पारित करना।
5. सदस्यों की उपस्थिति एवं बचत पर चर्चा करना।
6. आपसी झगड़ों एवं अन्य मामलों के सम्बन्ध में आम सहमति के आधार पर निर्णय लेना।
7. बैंक खाते ठीक प्रकार से संचालन करना।
8. समूह के सदस्यों को कृषि आधारित एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म व लघु उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरित व सहयोग करना।
9. समूह के कृषि एवं मत्स्य संबंधी उद्यम हेतु सदस्यों के प्रशिक्षण एवं इनपुट की समय से व्यवस्था करना।
10. कृषि एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के उद्यम में विविधीकरण एवं विस्तार हेतु प्रयास करना।
11. समूह के कृषि एवं मत्स्य संबंधी उद्यम के उत्पादों हेतु उचित बाजार लिंकेज के लिए प्रयास करना।
12. बैंकों से समूह के सदस्यों का ऋण दिलवाने में सहयोग प्रदान करना।

सचिव के कार्य एवं उत्तरदायित्व—

1. समूह के नियमों का पालन कराना।
2. समूह के खाताबही की देखरेख करना। बैठक की कार्यवाही को रजिस्टर पर लिखना/लिखवाना।
3. समूह के नियम/प्रस्ताव को क्रियान्वित करना।
4. बैंक खाता का संचालन करना।

कोषाध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व—

1. समूह के पैसों का हिसाब-किताब रखना।
2. समय से बचत एवं ऋण की किस्तों को जमा कराना।
3. बैंक में बचत/पैसों को जमा करना एवं जरूरत पड़ने पर निकासी करना।
4. समूह के पैसों को सुरक्षित रखना।
5. बैंक खाता का संचालन करना।
6. बैंकों से समूह के सदस्यों का ऋण दिलवाने में सहयोग प्रदान करना।

समूह सदस्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व—

1. सभी सदस्य समूह में एकता और सहयोग की भावना रखेंगे।
2. सभी सदस्य एक दूसरे को समान अवसर देंगे एवं प्रोत्साहित करेंगे।

3. सभी सदस्य आवश्यक संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से उपयोग एवं प्रबन्धक करेंगे।
4. सभी सदस्यों का दायित्व होगा कि जानबूझ कर ऋण नहीं चुकाने वाले सदस्यों से ऋण वसूली करने हेतु सामूहिक कार्यवाही करना।
5. सभी सदस्य कृषि अथवा मत्स्य आधारित गतिविधियों के विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और एक दूसरे का सहयोग करते हुए नेतृत्व की जिम्मेदारी लेंगे।
6. सभी सदस्य समूह के माइक्रोप्लान का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समूह के कार्यों के मूल्यांकन में भाग लेंगे। मूल्यांकन सम्बन्धी तथ्यों पर उचित कार्यवाही करेंगे।
7. सभी सदस्य समूह की बैठक में अनुशासन बनाये रखेंगे।
8. सभी सदस्य समूह द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करेंगे।
9. सदस्यों को ही पदाधिकारियों का चयन करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

.....महिला कृषक उत्पादक समूह

ग्राम.....विकासखण्ड.....जनपद.....



यू०पी०एग्रीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, यू०पी०डास्प, उ०प्र०

चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पी०ई०एक्स: 2720718, 2721258, ईमेल: updasp12@gmail.com

टोल फ्री नम्बर: 1800-1800-118, वेबसाईट: www.updasp.org